



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 245 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2020

रायपुर, दिनांक : 16/09/2020

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.- 1234, ग्राम व पोस्ट- नरदहा, तह.- आरंग जिला- रायपुर (छ.ग.) spectrumraipur@yahoo.com Phone No.- 0771-6501373	<b>Non- Permanent Affiliation</b> <b>B.Ed. (Seat-100)</b>

निर्देश:-

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जावे।
3. महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
4. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक : 246 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 16/09/2020

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी प्रेस
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 200 / अका. / सम्बद्धता / 2020

रायपुर, दिनांक : 11 / 09 / 2020

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 के अनुमोदनानुसार, स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर, रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020-21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.ए.(समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र) प्रथम वर्ष (नवीन पाठ्यक्रम)	60	2020-2021
2	पी.जी.डी.सी.ए.(नवीन पाठ्यक्रम)	25	

## शर्त :-

01. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ 17-62/2017/38-2 दिनांक 28.02.2017 के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत